न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 310/14 (वाद)

GCMS No. : 2014/00024

अनवान

1. श्रीमती शम्भूकुंवर पत्नी भूरसिंह राजपूत निवासी राणावतों की सादडी का बंगला तहसील भोपालसागर।

...........वादीया

बनाम

1. श्री कालुलाल पिता जोतमान मेनारिया निवासी ईण्टाली चौराया फतहनगर तहसील मावली।
2. श्री संजय पिता सुन्दरलाल तम्बोली निवासी ईण्टाली चौराया फतहनगर तहसील मावली।
3. श्री गोपाल पिता मगनीराम सुथार निवासी राणावतों की सादडी धोलादान्ता तहसील भोपालसागर।
4. श्री बालु पिता प्रतापदास वैरागी निवासी राणावतों की सादडी धोलादान्ता तहसील भोपालसागर।
5. श्री पप्पु पिता नगजीराम जाट निवासी मुनकटिया (पटोलिया) तहसील कपासन।
6. श्री सत्यनारायण पिता अग्रवाल निवासी फतहनगर तहसील मावली।
7. श्री राधेश्याम पिता अग्रवाल निवासी फतहनगर तहसील मावली।
8. श्री गोविन्द पिता बिहारीलाल अग्रवाल निवासी फतहनगर तहसील मावली।
9. श्री कैलाश पिता रामेश्वर सुथार निवासी ईण्टाली चौराया फतहनगर तहसील मावली।
10. श्री बालु पिता रामेश्वर सुथार निवासी ईण्टाली चौराया फतहनगर तहसील मावली।
11. श्री रमेश पिता मांगु तेली निवासी मुनकटिया (पटोलिया) तहसील कपासन।

..............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री देवराम डांगी, अधिवक्ता वादीया।
2. श्री मनीष कुमार तम्बोली, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 06.02.2025

1. वादीया द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली की आराजी नम्बर 5278 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा उपरोक्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में वादीयां के नाम स्वतन्त्र रूप से दर्ज है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:16:16 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात की मैं वादीयां खातेदार काश्तकार हूं तथा मुझ वादीयां ने अपने जमीन के चारो तरफ पक्की बाउण्ड्रीवाल बना रखी है तथा कृषि औजार एवं घास, कडप वगैरा रखने के लिये कच्चे व पक्के मकान बना रखे है और मै वादीया परिवार सहित अपने खातेदारी की भूमि पर काबिज होकर निरन्तर बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग कर रही हूं जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है किन्तु प्रतिवादीगण जो सभी भूमाफिया गिरोह के सदस्य है जो नाजायज रूप से मुझ वादीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को जबरन हडपने की कोशिश कर रहे है और इसी नियत से दिनांक 24.12.2014 को मेरी जमीन में प्रवेश करने की जगह की बाउण्ड्रीवाल को अनाधिकार रूप से गिरा दी तथा मुझ वादीया एवं मेरे परिवारजन ने प्रतिवादीगण को ऐसा करने से मना किया तो प्रतिवादीगण ने हमारे साथ गाली गलोच की और मुझ वादीयां को मेरे खातेदारी व कब्जे की भूमि से बेदखल करने की धमकी दी और समझाने पर भी नहीं माने और अब प्रतिवादीगण अनाधिकार रूप से मेरी जमीन पर निर्माण कराने पर आमादा हो रहे है और निर्माण के लिए मौके पर भारी तादाद में मेटेरियल भी डलवाया जा रहा है जबकि प्रतिवादीगण का उक्त वर्णित कृषि भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है। इसलिए मैं वादीया प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी हूं।

3. यह कि मुझ वादीया का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि मैं वादीया उक्त वर्णित कृषि भूमि खातेदार काश्तकार हूं जिस पर मैं वादीया अपने परिवार सहित बिना किसी बाधा के निरन्तर काबिज हो काश्त कर रही हूं जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है फिर भी प्रतिवादीगण मुझ वादीया के कब्जे काश्त व खातेदारी की जमीन पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हो रहे है और धमकीया दे रहे है कि वे मुझ वादीयां को मेरी खातेदारी की जमीन से लाठी के बल पर बेदखल कर कब्जा कर देगे। प्रतिवादीगण ने मेरी जमीन पर कब्जा करने की नियत से एकराय हमसलाह होकर मेरी भूमि की बाउण्ड्रीवाल को भी गिरा नष्ट कर दी है और अब जोर जबरदस्ती मेरी खातेदारी की जमीन में कार–तामीर कराने पर उतारू हो रहे है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं है। इसलिए मैं वादीया प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी हूं कि प्रतिवादी वाद पत्र में वर्णित मुझ वादीयां के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि एवं इस पर बने मकानात का मुझ वादीया को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, मुझ वादीया को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचावे, वादीया के खाते कब्जे की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:16:16 IST
Reason: SelfAttested

भूमि में किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचावे, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, वादीयां को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है। स्थाई निषेधाज्ञ जारी नहीं होने से मुझ वादीया को भारी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो पैसो में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ वादीया के पक्ष में है।

4. यह कि वादीया को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण दिनांक 24.12.2014 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने मुझ वादीया के खातेदारी की भूमि पर बनी बाउण्ड्रीवाल के कुछ भाग को गिराकर नष्ट कर दी और मना करने पर भी नहीं माना तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

5. अन्त में निवेदन किया कि मुझ वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वाद पत्र में वर्णित मुझ वादीया के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि का मुझ वादीया को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, मुझ वादीया को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहूंचावे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, वादी को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, निर्माण नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 11 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं। प्रकरण मे साक्ष्य वादीया प्रारम्भ की गई। अधिवक्ता वादीया को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादीया का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं। अधिवक्ता प्रतिवादीगण को भी पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी का अवसर बन्द किया गया।

7. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीयां द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादीया का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि में से कुछ हिस्सा भूमि क्रय कर आवासीय भूखण्ड में संपरिवर्तित करवाई गई है जिसका नामान्तरकरण नहीं होने से राजस्व रेकार्ड में सम्पूर्ण भूमि वादीया के नाम चली आ रही हैं एवं सम्पूर्ण भूमि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.03.07 14:16:16 IST
Reason: SelfAttested

किस्म भी कृषि चली आ रही हैं जबकि प्रतिवादीगण द्वारा क्रय की गई कुछ भूमि आवासीय होकर मौके पर मकानात बने हुए हैं। अतः वादीया का वाद खारिज किया जावें।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 5278 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा भूमि के संबंध में वादीया द्वारा वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई। वादीया का कथन है कि उसकी खातेदारी की भूमि में प्रतिवादीगण जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करना चाह रहे तथा वादीया को बेदखल कर रहे है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादीया द्वारा इस वाद पत्र के साथ एक अस्थाई निषेधाज्ञा का भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजात पेश किए गए है। जिसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से जाहीर आया है कि वादग्रस्त भूमि में श्री भूरसिंह पिता मेघसिंह जाति राजपूत द्वारा कुछ हिस्सा भूमि श्री किशनलाल पिता बालकिशन, श्री सुरेशचन्द्र पिता बालकिशन को विक्रय की गई है। इनके द्वारा क्रय की गई भूमि का संपरिवर्तन उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर से 27.02.1989 को संपरिवर्तन करवाया जाना भी जाहीर आया है। तत्पश्चात इनके द्वारा फर्दर फर्दर उक्त संपरिवर्तित भूमि का विक्रय कर दिया गया। उक्त विक्रय एवं संपरिवर्तन का नामान्तकरण नही होने से संम्पूर्ण भूमि में वादीया का नाम अंकित हो गया। उक्त विक्रय एवं संपरिवर्तन के नामान्तरकरण राजस्व कर्मचारियों को पारित करना चाहिए था। राजस्व कर्मचारियो की त्रूटि से सम्पूर्ण भूमि में वादीया का नाम अंकित हो जाने से वादीया सम्पूर्ण भूमि की खातेदार काश्तकार नही हो सकती है। प्रतिवादीगण तहसीलदार मावली के समक्ष संपरिवर्तन आदेशो की प्रति प्रस्तुत करने पर तहसीलदार से संपरिवर्तन आदेशो की नियमानुसार जांच करा हाल व साबिक आराजीयात का मिलान करते हुए संपरिवर्तन आदेशो के नामान्तरण व राजस्व नक्शे में अमलदरामद करवाया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। साथ ही वादीया द्वारा उक्त विक्रय के संबंध में दावे में उल्लेख नही किया। इससे स्पष्ट है कि वादीया क्लीन हैंड से दावा प्रस्तुत नही किया है। ना ही वादीया द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया है जिससे यह जाहीर होता हो कि सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर वादीया का ही कब्जा हो। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादीया के विरूद्ध साबित किया जाता है। विपक्षीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह साबित करना आवश्यक है कि वादग्रस्त भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:16:16 IST
Reason: SelfAttested

वादीया का ही कब्जा हो तथा वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि ही है। इस संबंध में वादीया द्वारा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया। इस पत्रावली में उभय पक्षो द्वारा ही साक्ष्य पेश नही किए गए। परन्तु अस्थाई निषेधाज्ञा की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात से वादग्रस्त भूमि का कुछ हिस्सा संपरिवर्तित प्रतित होता है। जिससे प्रतित होता है कि संपरिवर्तित भूमि पर क्रेतागणो द्वारा पक्का निर्माण कर रखा होगा। न्यायालय का यह भी अभिमत है कि उभय पक्ष ही कब्जे संबंधि साक्ष्य पेश नही किए है यदि किसी भी पक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो कब्जेधारी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दु वादीया के विरूद्ध साबित होते है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद खारिज योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को आगाह किया जाता है कि विक्रय पत्र एवं संपरिवर्तन के दस्तावेज तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर नियमानुसार नामान्तरकण पारित करावें। तहसीलदार मावली प्रवितादीगण द्वारा प्रस्तुत संपरिवर्तन आदेशो की नियमानुसार जांच कर हाल व साबिक आराजीयात का मिलान करते हुए संपरिवर्तन आदेशो के नामान्तरकरण व राजस्व नक्शे में अमलदरामद की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:16:16 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती शम्भूकुंवर पत्नी भूरसिंह राजपूत निवासी राणावतों की सादडी का बंगला तहसील भोपालसागर।

............वादीया

बनाम

1. श्री कालुलाल पिता जोतमान मेनारिया निवासी ईण्टाली चौराया फतहनगर तहसील मावली।
2. श्री संजय पिता सुन्दरलाल तम्बोली निवासी ईण्टाली चौराया फतहनगर तहसील मावली।
3. श्री गोपाल पिता मगनीराम सुथार निवासी राणावतों की सादडी धोलादान्ता तहसील भोपालसागर।
4. श्री बालु पिता प्रतापदास वैरागी निवासी राणावतों की सादडी धोलादान्ता तहसील भोपालसागर।
5. श्री पप्पु पिता नगजीराम जाट निवासी मुनकटिया (पटोलिया) तहसील कपासन।
6. श्री सत्यनारायण पिता अग्रवाल निवासी फतहनगर तहसील मावली।
7. श्री राधेश्याम पिता अग्रवाल निवासी फतहनगर तहसील मावली।
8. श्री गोविन्द पिता बिहारीलाल अग्रवाल निवासी फतहनगर तहसील मावली।
9. श्री कैलाश पिता रामेश्वर सुथार निवासी ईण्टाली चौराया फतहनगर तहसील मावली।
10. श्री बालु पिता रामेश्वर सुथार निवासी ईण्टाली चौराया फतहनगर तहसील मावली।
11. श्री रमेश पिता मांगु तेली निवासी मुनकटिया (पटोलिया) तहसील कपासन।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 310/14 (वाद)

GCMS No. : 2014/00024

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

परिणामस्वरूप वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को आगाह किया जाता है कि विक्रय पत्र एवं संपरिवर्तन के दस्तावेज तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर नियमानुसार नामान्तरकण पारित करावें। तहसीलदार मावली प्रवितादीगण द्वारा प्रस्तुत संपरिवर्तन आदेशो की नियमानुसार जांच कर हाल व साबिक आराजीयात का मिलान करते हुए संपरिवर्तन आदेशो के नामान्तरकरण व राजस्व नक्शे में अमलदरामद की कार्यवाही करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 06.02.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:16:16 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली